




**बाल संरक्षण को सशक्त करने हेतु  
मिशन वात्सल्य योजनान्तर्गत गठित बाल  
कल्याण एवं संरक्षण समिति की भूमिका  
एवं कार्य दायित्व हेतु प्रशिक्षण माड्यूल**



**द्वारा - रोजा संस्थान, वाराणसी, 30प्र0**

**- सहयोग -**

**महिला एवं बाल विकास विभाग**

**बलरामपुर, 30प्र0**



## संस्था प्रमुख, रोजा संस्थान, वाराणसी का संदेश



### शुभ संदेश

विगत 25 सालों से मानव सेवा में समर्पित संस्था उत्तर प्रदेश के कई जिलों में समाज के जरूरतमंदों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए प्रयासरत है। संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज के उस दर्पण को स्वच्छ रूप में प्रस्तुत करना है जो पिछले कई दशकों से सामाजिक परम्पराओं, मान्यताओं व कृपथाओं के कारण धूमिल है। हमारा उद्देश्य देश के भविष्य कहे जाने वाले उन बच्चों से है जो आर्थिक सामाजिक व व्यक्तिगत कारणों से वांछित मौलिक अधिकारों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं।

इन्हीं मौलिक उद्देश्यों को लेकर संस्था द्वारा बाल संरक्षण को सशक्त करने हेतु प्रशिक्षण माड्यूल तैयार किया गया है, जो कि निश्चित रूप से समाज ही नहीं अपितु देश के भविष्य को सजाने, संवारने व सक्षम बनाने का कार्य करेगी।

यह माड्यूल पूरी तरह से विचार-विमर्श व समुदायों के सूक्ष्म अवलोकन उपरान्त तैयार की गयी। माड्यूल की तैयारी में मुख्य रूप से महिला एवं बाल विकास विभाग के नोडल अधिकारी जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री सतीश चन्द्र का मार्गदर्शन व सहयोग रहा है। इसके लिए संस्था हृदय से आभार प्रकट करती है।

साथ ही बाल संरक्षण प्रशिक्षण माड्यूल के प्रकाशन में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी साथियों व शुभचिंतकों का "ROSA" परिवार की तरफ से हार्दिक आभार प्रकट करते हैं।

सदैव बाल हितों की रक्षा में तत्पर.....

शुभकामनाओं सहित.....

**(मुश्ताक अहमद)**

मुख्य कार्यकारी

"ROSA" संस्थान

ककरमत्ता बी0एल0डब्लू

वाराणसी, 221004।

## जिला प्रोबेशन अधिकारी, बलरामपुर का संदेश



### संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि बाल संरक्षण की दिशा में रोजा संस्थान द्वारा जनपद बलरामपुर में कार्य किया जा रहा है संस्थान द्वारा तैयार किया गया बाल संरक्षण हेतु प्रशिक्षण माड्यूल, बालहित में एक मील का पत्थर साबित होगा। इससे ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति तथा ब्लाक बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति के साथ साथ अन्य प्रमुख हितधारकों को बाल संरक्षण के मुद्दों पर एक बेहतर समझ बनेगी। मुझे पूर्ण आशा व विश्वास है कि इससे जनपद बलरामपुर में बच्चों के संरक्षण की दिशा में एक नयी उँचाई हासिल होगी।

शुभकानाओं सहित

**(सतीश चन्द्र)**

जिला प्रोबेशन अधिकारी  
जनपद बलरामपुर।

## रोजा संस्थान वाराणसी का एक संक्षिप्त परिचय:-

**Rural Organization for Social Advancement "ROSA"** - एक समाज सेवी संस्था है, संस्था उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में विगत 20 वर्षों से जनहित में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। संस्था निःशुल्क स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा जागरूकता, आजीविका हेतु सहायता, बाल संरक्षण पर बचावात्मक पहल, राहत सहायता, बालिका एवं महिला विकास और कोविड टीकाकरण जागरूकता आदि के मुद्दों पर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही है। संस्था स्थानीय स्तर पर सम्बन्धित विभागों के साथ सारख्य, संवाद व सहयोग के माध्यम से स्थानीय स्तर पर समन्वयन के साथ संस्थागत गतिविधियों का संचालन करती आ रही है।

**संस्था का विजन-** समतामूलक समाज की आकांक्षा

**संस्था का मिशन-** सामाजिक विकास और समाज कल्याण को सुनिश्चित करने हेतु समाज के अति गरीब व्यक्ति, परिवार व समुदाय की विकास प्रकिया।

**संस्था का उद्देश्य-**

1. सदभावी आत्मनिर्भर समाज व राष्ट्र का निर्माण करना।
2. लोक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, परिवार कल्याण का प्रचार-प्रसार करना, लोक स्वास्थ्य संवर्धन हेतु प्रभावी रचनात्मक प्रयास करना।
3. कृषि, पशुपालन, विज्ञान, पर्यावरण, ग्रामीण तकनीक व गैर पारम्परिक उर्जा स्रोतों का संरक्षण संवर्धन व समुचित उपयोग को बढ़ावा देना।
4. पारम्परिक लोक कलाओं व विधाओं के संरक्षण, संवर्धन व जनहित में सदुपयोग को बढ़ावा देना।
5. देश के समग्र विकास हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन आर्यपार्जन व कृषि कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना और बढ़ावा देना।
6. समाज के महिलाओं, बच्चों, वृद्धों, विकलांगों, असहायों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक के सहायतार्थ कार्य करना।
7. समान उद्देश्यों वाली संस्थाओं के साथ नेटवर्क बनाना व स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देना।
8. संस्था के कार्यक्रम क्रियान्वयन, शोध, अभिलेखीकरण, निःशुल्क प्रकाशन, प्रशिक्षण व दस्तावेजीकरण करने के लिए केंद्रों की स्थापना करना।
9. खादी व ग्रामोद्योग के विकास व प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देना।
10. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समान उद्देश्यों वाले स्थानीय लोगों, सरकारी, गैर-सरकारी राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ आवश्यक संसाधनों का आदान-प्रदान व सहयोग करना।
11. स्थानीय लोक परम्परा, संस्कृति व विचारों का सम्मान करना व संरक्षण देना।

**संस्था का विजन-** खुशहाल समाज का सम्पूर्ण विकास तभी संभव है जब समाज का प्रत्येक सदस्य खुशहाल हो।

**संस्था का सिद्धान्त-** हर स्तर पर लोक तांत्रिक प्रकिया का अनुपालन करते हुए बिना किसी भेदभाव के एक दुसरे का सम्मान करना और बिना किसी धर्म, जाति और लैंगिक पूर्वाग्रह के, हर स्तर पर सभी के लिए समान अवसर प्रदान करना। संस्था का मानना है कि जरूरतमंद लोगों की इस प्रकार मदद किया जाए, कि वे अपनी मदद स्वयं से कर सकें।

**संस्था का मूल्य-** समाज के हर स्तर पर एक दूसरे का सम्मान करना, समानता की भावना, समान अवसरों की उपलब्धता, विकास कार्यों में पारदर्शिता, लक्ष्य के प्रति समर्पण, आत्म अनुशासन और जिम्मेदारी की निर्वहन करना।

**संस्था की कार्यनीति-** प्रत्येक स्तर पर लोकतांत्रिक प्रकिया में अहिंसा के मार्ग से सामूहिक निर्णय एवं सामूहिक पहल को बढ़ाना।

**संस्था की प्रकृति-** भारत के संविधान की शक्ति के तहत एक गैर-राजनीतिक व सामाजिक संस्था।

## प्रस्तावना—

ग्रामीण समुदाय मे प्रचलित बाल विवाह, बाल श्रम, बाल तस्करी, बाल यौन शोषण जैसे कुप्रथाओं की सामाजिक स्वीकृति तथा बच्चों को अनुशासित करने के लिए शारीरिक दंड एवं दुर्व्यहार की स्वीकार्यता जैसी हानिकारक सामाजिक लोकप्रथा एवं रीति-रिवाज, धार्मिक मान्यताएं एवं सांस्कृतिक दस्तुर बच्चों के शारीरिक, ज्ञानबोध एवं सामाजिक विकास को गंभीर नुकसान पहुँचाता है। इसलिए इन प्रचलित मान्यताओं को क्रमिक रूप से त्याग करने के लिए जहाँ एक ओर स्थानीय समुदाय एवं स्थानीय शासन-प्रशासन की संस्थाओं को सहयोग की आवश्यकता है, तो दूसरी ओर उन्हें खुद भी ऐसी प्रणाली अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें स्थानीय समुदाय की संसाधनों का परिचित्रण करने, निर्णय लेने तथा कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग इत्यादि जैसे कार्यों में स्वतः- स्फूर्त सहभागिता हो। इन सब के अपेक्षित परिणाम के रूप में एक न्यायसंगत माहौल सुनिश्चित किया जा सकेगा। ताकि विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए संरक्षण एवं हिंसा रहित बचपन की परिकल्पना साकार हो।

बाल संरक्षण के विषय पर किशोर न्याय(बालकों की देख-रेख व संरक्षण) अधिनियम 2015, के प्रावधानों के अनुसार देख-रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले तथा विधि विरुद्ध कार्यों मे लिप्त बच्चों के संरक्षण कल्याण एवं पुर्नवासन को सुनिश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश में समेकित बाल संरक्षण योजना दिनांक 24.11.2010 से संचालित की जा रही है। वर्ष 2017-18 में उक्त योजना का नाम परिवर्तित करते हुए बाल संरक्षण योजना कर दिया गया तथा वर्ष 2022-2023 में भारत सरकार द्वारा उक्त योजना का को मिशन वात्सल्य योजना के नाम से संचालित किए जाने हेतु निर्णय लिया गया जिसके अर्न्तगत नवीन शासनादेश के अनुसार मिशन वात्सल्य के सुचारु एवं सुगम क्रियान्वयन हेतु समितियों का गठन किया गया है।

## उद्देश्य

यह समितियों की परिकल्पना बाल संरक्षण अधिकारों का उल्लंघन करने वाली समस्याओं पर विचार करने एवं उनका स्थानीय समाधान तलाशने के मंच में अहम भूमिका अदा करने वाली इकाई के रूप में कि गयी है जो कि मिशन वात्सल्य के अर्न्तगत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों हेतु बाल संरक्षण के सशक्त संरक्षणत्मक परिवेश का निर्माण, उचित पालन पोषण करने, परिवार आधारित देख-रेख, प्रतिष्ठा के साथ रहने, बच्चों को हिंसा व दुर्व्यहार से बचाने के उद्देश्य से ब्लाक, ग्राम पंचायत, वार्ड स्तर पर बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों का गठन किया गया है।

**इस पेज पे क्या करना है**

## बाल संरक्षण क्या है

बच्चों के बाल अधिकारों को संरक्षित करने एवं उनके सर्वांगीण विकास के साथ-साथ सर्वोत्तम बाल हित को सुनिश्चित करना बाल संरक्षण कहलाता है।

### बाल अधिकार क्या है—

बच्चों (0 से 18 वर्ष तक) की देखभाल और संरक्षण को सुनिश्चित करने वाले 04 अधिकारों क्रमशः जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, सहभागिता का अधिकार और सुरक्षा का अधिकार ही बाल अधिकार है।

#### जीवन जीने का अधिकार

- जन्म लेने का अधिकार
- उचित स्वास्थ्य प्राप्त करने का अधिकार
- पौष्टिक आहार
- जीवन जीने के पर्याप्त मानक
- राष्ट्रीयता का अधिकार

#### विकास का अधिकार

- शिक्षा
- बाल्यावस्था के पूर्व एवं दौरान देखभाल एवं सहायता
- खेलकुद, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक गतिविधि का अधिकार
- समाजिक सुरक्षा

#### संरक्षण का अधिकार

- शोषण
- दुर्व्यवहार
- अमानवीय व्यवहार
- उपेक्षा
- विशेष परिस्थितियों में विशेष आपातकालीन, सशस्त्र संघर्ष, परिस्थितियों में।

#### सहभागिता का अधिकार

- बच्चे के विचार को सम्मान प्रदान करना
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- सही जानकारी हेतु



## बाल संरक्षण के पहलु

- बाल विवाह से संरक्षण—



- बाल मजदूरी से संरक्षण—



- बाल तस्करी से संरक्षण—



- बाल दुर्व्यहार से संरक्षण



- यौन शोषण से संरक्षण



- बच्चों से गाली—गलौज करना
- उपेक्षा करना।
- सी0सैम0 से संरक्षण(चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मैटेरियल)

## समितियों की संरचना

- **जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति**—जिला स्तर योजना के संचालन, मानिट्रिंग एवं समीक्षा किये जाने हेतु जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति का गठन किया गया है।

1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधि	
4	आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी शहरी एवं स्थानीय निकाय	सदस्य
5	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद/ग्राम्य विकास अधिकारी	सदस्य
6	मुख्य चिकित्साधिकारी/सिविल सर्जन	सदस्य
7	जिला श्रम अधिकारी	सदस्य
8	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
9	जिला क्रिडा अधिकारी	सदस्य
10	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
11	परियोजनाधिकारी एकीकृत अदिवासी विकास परियोजना	सदस्य
12	जिला कौशल विकास अधिकारी	सदस्य
13	जिला योजना अधिकारी	सदस्य
14	जिला परिवीक्षा अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी/मुख्यालय के बाल विकास परियोजना अधिकारी	सदस्य सचिव
15	कोई अन्य विशेषज्ञ, सांविधिक निकाय विभाग	चयनित सदस्य

- **ब्लाक बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति**।

1	ब्लाक प्रमुख	अध्यक्ष
2	खण्ड विकास अधिकारी	सचिव
3	बाल विकास परियोजना अधिकारी	सदस्य सचिव
4	सहायक पंचायत अधिकारी पंचायती राज	सदस्य
5	संरक्षण अधिकारी(संस्थानिक/गैर-संस्थानिक)	सदस्य
6	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
7	खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नामित चिकित्साधिकारी	सदस्य
8	खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नामित क्षेत्रीय प्रतिष्ठित बाल संरक्षण विशेषज्ञ अथवा बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संगठन के पदाधिकारी	सदस्य
9	विकासखण्ड स्थित थाने के बाल कल्याण अधिकारी	सदस्य

- **ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति**।

1	ग्राम प्रधान	अध्यक्ष
2	आगंनबाडी कार्यकर्त्री	सदस्य सचिव
3	ग्राम पंचायत अधिकारी	सदस्य सचिव
4	ए0एन0एम0	सदस्य
5	आशा कार्यकर्त्री	सदस्य
6	संबन्धित ग्राम सभा के प्राथमिक स्कूल के प्रधान अध्यापक	सदस्य
7	ग्राम सभा के 02 सम्मानित अभिभावक(कम0 से कम 01 महिला	सदस्य
8	ग्राम सभा के दो बाल प्रतिनिधि	सदस्य

## ➤ ब्लाक बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति के कार्य एवं दायित्व

- ब्लाक बाल संरक्षण समिति का शासनादेश के अनुसार गठन करना ।
- ब्लाक बाल संरक्षण समिति की नियमित त्रैमासिक बैठक आहूत करना ।
- ब्लाक बाल संरक्षण समिति के सदस्यों का बाल संरक्षण के मुद्दे पर क्षमता वर्धन हेतु प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्धन कार्यशाला आयोजित करना ।
- देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (सी0एन0सी0पी0) और कानून के उल्लंघन वाले बच्चों (सी0सी0एल0) के संदर्भ में बच्चों की आवश्यकता आंकलन और मानचित्रण (मैपिंग) करना ।
- बाल संरक्षण के मुद्दों पर ग्राम बाल संरक्षण समिति और सरकारी विभाग की अन्य सामुदायिक स्तर की संरचनाओं/समितियों जैसे विद्यालय प्रबंधन समिति (एस0एम0सी0), ग्राम स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता समिति (वी0एच0एन0एस0सी0), स्वयं सहायता समूह (एस0एच0जी0) के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करना ।
- बच्चों के खिलाफ हानिकारक प्रथाओं जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या, लिंग चयनात्मक गर्भपात, बाल विवाह, शारीरिक दंड , बाल श्रम आदि को हतोत्साहित करना ।
- आउट आफ स्कूल बच्चों को चिन्हित करना और माता-पिता के साथ मिलकर बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने का प्रयास करना तथा इस विषय पर जागरूकता अभियान ।
- जन्म पंजीकरण, आधार कार्ड पंजीकरण, स्कूल नामांकन, प्रवासी रजिस्टर रखरखाव आदि जैसी अच्छे अभ्यासों को बढ़ावा देना ।
- बच्चों के खिलाफ हिंसा (बाल श्रम, बाल विवाह, तस्करी, दुर्व्यवहार और शोषण) के मामलों को रिपोर्ट करें और जरूरतमंद बच्चों को वित्तीय सहायता एवं अन्य आवश्यक सहायता हेतु उच्च स्तर के अधिकारियों जैसे जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई तथा हेल्पलाइन नंबर जैसे कि चाइल्डलाइन-1098, पुलिस-112, महिला हेल्पलाइन-181, वीमेन पावर लाइन-1090 के पास रेफर करें ।
- स्थानीय स्तर पर बच्चों और किशोरों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर स्थानीय समुदाय के सदस्यों और पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करना ।
- बच्चों और किशोरों के मुद्दों पर समुदाय के सदस्यों/युवाओं को संगठित करना ।

## ➤ ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति के कार्य एवं दायित्व

- जोखिम में रहने वाले बच्चों का मानचित्रण (मैपिंग) करना और आवश्यक कार्ययोजना तैयार करने के लिए बच्चों की जरूरतों का आंकलन करना ।
- बच्चों के खिलाफ हानिकारक प्रथाओं जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या, लिंग चयनात्मक गर्भपात, बाल विवाह, शारीरिक दंड , बाल श्रम आदि को हतोत्साहित करना ।
- बाल संरक्षण के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एवं जागरूकता पैदा करने के लिए स्वयं सहायता समूह (एस0एच0जी0), सामुदायिक नते Iओं, पंचायती राज संस्थानों (पी0आर0आई0) के सदस्यों, विद्यालय प्रबंधन समिति (एस0एम0सी0), ग्राम स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता समिति (वी0एच0एन0एस0सी0) आदि जैसे स्थानीय हितधारकों और कार्यकर्ताओं को शामिल करें ।
- ग्राम बाल संरक्षण समिति और बच्चों से संबंधित अन्य रेफरल सेवाओं के बीच संबंध बनाए रखें
- स्पोन्सरशिप, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड), उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य), मुख्यमंत्री बाल विद्या योजना बच्चों और महिलाओं से संबंधित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर माता-पिता और बच्चों का उन्मुखीकरण करना और संबंधित सरकारी विभागों के साथ जुड़ने को बढ़ावा देना
- आउट आफ स्कूल बच्चों को चिन्हित करना और जागरूकता अभियान चलाना और माता-पिता के साथ मिलकर बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने का प्रयास करना ।

### ► बाल संरक्षण समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए सामान्य दिशा निर्देश

- यदि आवश्यक हो तो अध्यक्ष तत्काल सूचना पर आपात बैठक बुला सकते हैं ।
- अध्यक्ष/सदस्य एजेंडा में शामिल न किए गए किसी भी आवश्यक कार्य को बैठक के समक्ष रख सकते हैं ।
- सभी बाल संरक्षण समिति की बैठक तीन महीने में कम से कम एक बार होनी चाहिए ।
- महिला एवं बाल विकास विभाग/ जिला बाल संरक्षण इकाई/जिला बाल संरक्षण इकाई बाल संरक्षण समिति से संबंधित कार्यों के सुचारु समन्वय और कार्यान्वयन के लिए सभी आवश्यक सहायता (प्रशासनिक और वित्तीय सहित) प्रदान करेगा ।
- अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में सचिव विशेष बैठकें बुला सकते हैं यदि कम से कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा लिखित अनुरोध किया जाता है ।
- बैठक की अवधि समिति के समक्ष लंबित कार्य पर निर्भर करती है ।
- बाल संरक्षण समिति की बैठकों में बाल संरक्षण समिति के कुल सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्य होंगे और निर्णय उपस्थित लोगों के बहुमत से होगा । बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष के पास वोट डालने का अधिकार होता है ।

### ► बच्चों के प्रतिनिधि/बाल भागीदारी

- बाल प्रतिनिधि गाँवों में बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों, उपलब्धियों और बाल संरक्षण पर प्रमुख चिंताओं को प्रस्तुत करेंगे ।
- बाल प्रतिनिधि बाल संरक्षण के लिए गांवों में बच्चों के लिए शिक्षा की स्थिति, चुनौतियों और आवश्यकता को भी प्रस्तुत करेंगे ।
- बाल प्रतिनिधि ग्राम बाल संरक्षण समिति में कोई व्यक्तिगत मामला भी प्रस्तुत कर सकते हैं ।
- यदि कोई बच्चा व्यक्तिगत मामलों को ब्लाक बाल संरक्षण समिति को साझा करना चाहता है, तो ऐसे मामलों में ग्राम बाल संरक्षण समिति से एक अनुमोदन पत्र की आवश्यकता होगी ।

### ► निगरानी तंत्र

- जिला बाल संरक्षण इकाई ब्लाक बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति एवं ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति के लिए मानक रिपोर्टिंग प्रारूप विकसित करेगा ।
- ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति प्रत्येक तिमाही में भरे हुए प्रारूप पर रिपोर्ट ब्लाक बाल संरक्षण समिति को भेजेगा ।
- ब्लाक बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति प्रत्येक 3 महीने में या जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा निर्धारित समयवधि के अनुसार रिपोर्ट प्रेषित करेंगे ।
- जिला बाल संरक्षण इकाई और प्राधिकरण बाल संरक्षण योजना पर चर्चा करने और उनका सहयोग करने के लिए गांव, ब्लाक का निगरानी विजिट करेंगे ।
- जिला बाल संरक्षण इकाई माइग्रेशन, चाइल्ड ट्रेकिंग और केस रिपोर्टिंग जैसे रिपोर्टिंग प्रारूपों पर विभिन्न बाल संरक्षण समितियों की क्षमता का निर्माण करेगा ।
- जिला बाल संरक्षण इकाई अद्यतन संपर्क सूची और उनकी योजना के साथ ग्राम बाल संरक्षण समिति और ब्लाक बाल संरक्षण समिति का रिकार्ड तैयार करेगा ।
- बाल संरक्षण समिति को कुशलता से काम करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा समय-समय पर दौरा किया जाएगा ।
- बाल संरक्षण समिति से प्राप्त रिपोर्ट का विश्लेषण जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा कार्रवाही और समय पर रेफरल सेवाओं के लिए किया जाएगा । आवश्यकता पड़ने पर गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जा सकता है ।

### ► बाल संरक्षण समितियों द्वारा रिपोर्टिंग

- तिमाही प्रगति रिपोर्ट ब्लाक बाल संरक्षण समिति द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रेषित की जानी चाहिए ।
- ग्राम बाल संरक्षण समिति द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट ब्लाक बाल संरक्षण समिति को भेजी जानी चाहिए ।
- ग्राम बाल संरक्षण समिति और ब्लाक बाल संरक्षण समिति के लिए डीसीपीयू द्वारा रिपोर्टिंग प्रारूप विकसित किया जाएगा ।

### महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनायें

**मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना**— प्रदेश में समान लिंगानुपात स्थापित करने व कन्या भ्रूण हत्या को रोकने , बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को सुदृढ़ करने, बालिका के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा बालिका के प्रति आम जन में सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा मार्च 2019 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत देय धनराशि पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से बैंक खाते में हस्तान्तरित की जाती है ।

#### पात्रता

1. लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उसके पास स्थाई निवास प्रमाण पत्र हो, जिसमें राशन कार्ड/आधार कार्ड/ वोटर पहचान पत्र/विद्युत/ कार्ड/ वोटर पहचान पत्र/विद्युत/ टेलिफोन का बिल मान्य होगा ।
2. लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम रु0 3.00 लाख हो ।
3. किसी परिवार की अधिकतम दो ही बच्चिया को योजना का लाभ मिल सकेगा ।
4. लाभार्थी के परिवार में अधिकतम दो बच्चे हो ।
5. किसी महिला को द्वितीय प्रसव में जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी सन्तान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमन्य होगा । यदि किसी महिला पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से दो जुड़वा बालिकाये ही होती हैं तो केवल ऐसे अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा
6. यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद ले लिया हो , तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ले ली गयी संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम दो बालिकायें इस योजना की लाभार्थी होगी ।

#### लाभ की श्रेणियां

1. बालिका के जन्म होने पर रु0 5000 /—एक मुश्त ।
2. बालिका के एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण के उपरान्त— रु0 2000 /—एक मुश्त ।
3. कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश करने के उपरान्त— रु0 3000 /—एक मुश्त ।
4. कक्षा छः में बालिका के प्रवेश करने के उपरान्त— रु0 3000 /—एक मुश्त ।
5. कक्षा नौ में बालिका के प्रवेश करने के उपरान्त— रु0 5000 /— एक मुश्त ।
6. ऐसी बालिका जिन्होंने 10 वीं कक्षा एवं 12वीं उत्तीर्ण करने के उपरान्त स्नातक अथवा 02 वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो,—को रु0 7000 /— एक मुश्त ।

उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) –उत्तर प्रदेश में कोविड-19 से भिन्न अन्य कारणों से अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य संचालित की जा रही है।

- 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चों जिन्होंने कोविड-19 से भिन्न अन्य कारणों से अपने माता-पिता अथवा माता या पिता में से किसी एक अथवा अभिभावक को खो दिया है।
- 0 से 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चों जिन्होंने बालश्रम/बाल भिक्षावृत्ति/बाल वैश्यावृत्ति से मुक्त कराकर परिवार/पारिवारिक वातावरण में समायोजित कराया गया हो या भिक्षावृत्ति/वैश्यावृत्ति में शामिल परिवारों के बच्चों।
- ऐसे बच्चों को रू0 2500/00 प्रतिमाह दिया जाएगा।
- 18 से 23 वर्ष के ऐसे किशोर जिन्होंने कोविड या अन्य कारणों से अपने माता पिता दोनों अथवा माता पिता में से कोई एक अथवा वैध अभिभावकों की मृत्यु हो गयी है उनकों कक्षा 12 तक शिक्षा पूर्ण करने के उपरान्त स्नातक या डिप्लोमा प्राप्त करने मेधावी छात्रों को 23 वर्ष की आयु पूर्ण होने या स्नातक शिक्षा अथवा मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान से डिप्लोमा प्राप्त करने में जो भी पहले हो तक इस योजना के अर्न्तगत लाभ दिया जाएगा।

## स्पॉन्सरशिप योजना.

### योजना हेतु पात्रता/शर्तें.

प्रीवेन्टिव स्पॉन्सरशिप हेतु सांकेतिक मापदंडों के आधार पर अत्याधिक अभाव की स्थिति वाले बच्चों का चयन किया जाएगा, जैसे-आवासीय परिवेश, सामाजिक अभाव और व्यवसाय, परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम रू0. 72,000/- एवं अन्य क्षेत्रों में अधिकतम रू0. 96,000/- होनी चाहिये।

### सभी प्रकार के प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप) के लिए पात्रता-

- यदि मां विधवा या तलाकशुदा है या परिवार द्वारा परित्यक्त है।
- यदि बच्चे अनाथ हैं और विस्तारित परिवार के साथ रह रहे हैं।
- यदि माता-पिता या उनमें से कोई एक असाध्य/गंभीर/जानलेवा रोग से ग्रसित/संक्रमित हैं।
- यदि माता-पिता आर्थिक, शारीरिक या मानसिक रूप से बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ या अक्षम हैं।
- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अनुसार देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे जो बेघर, किसी प्राकृतिक आपदा के शिकार, बाल विवाह, कानून से संघर्षरत, बाल-तस्करी, एच०आई०वी०/एड्स प्रभावित, दिव्यांग, लापता या घर से भागे हुए, बाल वैश्यावृत्ति, बाल-श्रम बाल भिक्षुक या सड़क पर जीवनयापन करने वाले, प्रताड़ित या उत्पीड़ित या शोषित किये गये एवं जिनके माता-पिता या उनमें से कोई एक जेल में हैं, उनको सहायता और पुनर्वास की आवश्यकता है।
- पीएम केयर्स फार चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत आने वाले सभी बच्चे।
- निवारक प्रवर्तकता (प्रीवेन्टिव स्पॉन्सरशिप) के ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों अथवा वैध संरक्षक की मृत्यु हो गई हो के प्रकरणों में "परिवार की अधिकतम आय सीमा" का नियम लागू नहीं होगा वरन् उपरोक्त बच्चों को विधिक रूप से गोद लिये जाने के पश्चात वैध अभिभावक के जीवित होने पर आय सीमा का नियम लागू होगा।

- निवारक प्रवर्तकता (प्रीवेन्टिव स्पॉन्सरशिप) के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की स्पॉन्सरशिप में भी "परिवार की अधिकतम आय सीमा" का नियम लागू नहीं होगा।
- 18 वर्ष की आयु पूर्ण किये जाने पर स्पॉन्सरशिप के लाभार्थियों को उच्च शिक्षा में सहयोग किये जाने हेतु उ०प्र० मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) में शामिल किया जा सकेगा।

### **आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक अभिलेख**

- आय प्रमाण-पत्र (जहाँ लागू हो), ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम रू०-72,000/- एवं अन्य क्षेत्रों में अधिकतम रू०-96,000/- होनी चाहिये।
- माता-पिता या माता या पिता या अभिभावक (मृत्यु के संदर्भ में मृत्यु प्रमाण पत्र) जैसी भी स्थिति हो, के सुसंगत अभिलेख।
- शिक्षण संस्थान में पंजीयन का प्रमाण पत्र (0 से 05 वर्ष के बच्चों हेतु लागू नहीं। बच्चों को शिक्षा के अतिरिक्त अन्य कारणों से स्पॉन्सर किये जाने की स्थिति में भी लागू नहीं)।
- बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड का आदेश, जिसके द्वारा बच्चे को संस्थागत देख-रेख में आश्रय दिया गया है, प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप) हेतु अनुसंशा की गयी हो (जहाँ लागू हो)।
- उपरोक्त के अतिरिक्त आवेदक एवं बच्चे के आधार कार्ड की छायाप्रति।  
बच्चे/किशोर का आयु प्रमाण-पत्र किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा-94 में उल्लिखित प्रमाण पत्रों तथा उनके अभाव में परिवार रजिस्टर की नकल अथवा किसी सरकारी दस्तावेज की प्रति जिसमें आयु का उल्लेख हो। विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित विद्यालय प्रमाण पत्र जिसमें बच्चों का एस०आर०नं० एवं जन्मतिथि अंकित हो।

**आभार.....**

**मुश्ताक अहमद**  
**मुख्य कार्यकारी, रोजा संस्थान।**

**जिला प्रोबेशन अधिकारी**  
**महिला एवं बाल विकास विभाग, बलरामपुर।**

मानव सेवा में समर्पित.....

### **“रोजा संस्थान”**

पंजीकृत कार्यालय ककरमत्ता (निकट आर्दश बाल विद्यालय रोजा कालोनी)

पोस्ट-बी०एल०डब्लू जनपद-वाराणसी-221004

सम्पर्क नम्बर-9450156972

**Email- rosasansthan@gmail.com, Web- www.rosanow.org**

